

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1375 / 2012 / पाली.

2. अपील संख्या – 1376 / 2012 / पाली.

मैसर्स अम्बुजा सीमेण्ट लिमिटेड,  
राबड़ियावास, पाली

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-ब्यावर,

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक

श्री डी.पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 14.11.2017**


निर्णय


1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 05 व 06 /11-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.04.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, ब्यावर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के लिये अधिनियम की धारा 33 व 55 के तहत पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी को प्रोत्साहन योजना 1989 के तहत कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ था, जो दिनांक 27.03.1997 से प्रभावी था। उसके पश्चात् अपीलार्थी को पुनः विशिष्ट अधिसूचना 2002-138 दिनांक 22.02.2002 से 75 प्रतिशत की कर में छूट दी गई। दिनांक 01.04.2006 से राज्य में वैट अधिनियम लागू होने के पश्चात् विशेष अधिसूचना 2005-171 दिनांक 31.03.2006 से कर मुक्ति के लाभ के स्थान पर कर वसूली करने पर उस कर का जमा कराने को आस्थगित कराने का लाभ दिया गया था जिसमें tax payable राशि को 75 प्रतिशत की सीमा तक विशिष्ट अवधि तक defer किया जा सकता था।

4. उक्त विधिक लाभ के परिपेक्ष्य में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में अपीलार्थी द्वारा जो जमा योग्य कर राशि आस्थगित की गई थी, वह output tax की राशि के बराबर कर दी एवं कर निर्धारण अधिकारी ने भी अपने कर निर्धारण आदेशों क्रमशः 25.02.2009 एवं 29.06.2009 में इसे स्वीकार किया, परन्तु यह परिज्ञान में आने पर कि आस्थगन के लाभ की गणना पूरी output tax राशि पर है जबकि वह वास्तव में tax payable अर्थात् output (-) input tax





लगातार.....2

से होनी चाहिये थी। इस तरह वर्ष 2009 के उक्त दोनों आदेशों को दिनांक 11.02.2011 एवं 29.03.2011 को वैट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित कर net tax payable राशि की सीमा तक ही आस्थगन का लाभ दिया गया, एवं अधिक आस्थगित राशि को मय ब्याज वसूल की गयी।

5. उक्त आदेशों के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी का यह तर्क अस्वीकार किया की अधिक आस्थगित राशि को "संशोधन" के प्रावधान के तहत संशोधित किया जाना अविधिक है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने के विरुद्ध ये अपील कर बोर्ड में पेश की गयी है।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

7. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि जो प्रथम मूल कर निर्धारण आदेश वर्ष 2009 में पारित किये गये थे वे सुबिचारित निर्णय होने से एवं output tax की राशि को आस्थगित करने में कोई त्रुटि नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो संशोधित आदेश पारित कर net tax payable राशि को आस्थगित किया है, वह अविधिक है। अतः अपीलीय आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

8. विद्वान अधिवक्ता ने कर बोर्ड में प्रस्तुत अपील में अतिरिक्त आधार बिन्दु संख्या 6, 7 एवं 8 दिनांक 04.07.2015 को प्रस्तुत किये गये थे, उस सम्बन्ध में कथन किया कि कर बोर्ड में लम्बित अपीलों के दौरान ही इन्ही वर्षों के लिए पुनः दिनांक 07.04.2014 को आदेश पारित किये गये हैं। जिसका कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को 75 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत राशि की ही कर मुक्ति एवं वर्ष 2008 से 25 प्रतिशत ही आस्थगन लाभ दिये जाने के आदेश किये गये थे। इसके परिणाम स्वरूप अपीलार्थी को वर्ष 2006-07 से संपूर्ण कर एवं ब्याज गणना परिवर्तित होने से कर एवं ब्याज की मांग सृजित की गयी है, परन्तु मांग सृजित करते समय पूर्व के मूल कर निर्धारण आदेश एवं संशोधित कर निर्धारण आदेश 11.02.2011 एवं 29.03.2011 पर ध्यान दिये बिना, नवीनतम आदेश में पूरी आईटीसी की राशि को घटाते हुए आस्थगन का लाभ दिया गया है जो 75 प्रतिशत के लिये प्रभावी थी, जबकि आस्थगन का लाभ 25 प्रतिशत करते समय आईटीसी की राशि में परिवर्तन न कर प्रथम बार वर्ष 2009 में किए गए आदेशानुसार ली गई राशि 38.17 करोड़ (वर्ष 2006-07) एवं रु 48.02 करोड़ (वर्ष 2007-08) पर ही सीधे 50 प्रतिशत कम करते हुए 25 प्रतिशत राशि का लाभ एवं अवशेष राशि को देय मानते हुए उस पर ब्याज आरोपित कर दिया, जिससे ब्याज की गणना अधिक हो गयी है अतः उस बिन्दु पर पुनः गणना करने के आदेश देने का अनुरोध किया।

9. विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

10. उक्त प्रकरणों में अपीलार्थी को प्रोत्साहन योजना के तहत जो लाभ प्राप्त करने की पात्रता थी, उसमें वर्ष 2006-07 से "tax payable" राशि को आस्थगन करने की थी परन्तु विवाद इस बिन्दु पर उत्पन्न हुआ की वर्ष 2009 में मूल कर निर्धारण आदेशों में output tax राशि को tax payable मान लिया गया था जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने संशोधन कर अपील में विवादित आदेश दिनांक 11.02.2011 एवं 20.03.2011 पारित किए एवं Net tax payable राशि को आस्थगित रखते हुए अवशेष राशि को अर्थात् इनपुट राशि को घटाते हुए ही प्राप्त राशि आस्थगित की एवं उसे मय ब्याज वसूली की गई।

11. अपीलीय अधिकारी द्वारा संशोधन आदेशों को यथावत् रखा गया एवं यह तर्क अस्वीकार किया कि उन्हें out put tax राशि पर लाभ दिया जावे। हमारे समक्ष सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह माना की वर्ष 2011 के बाद tax payable के विवाद पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **RSWM Ltd vs State of Rajasthan (2012) 32 TUD page 164** में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि tax payable का अभिप्राय net tax payable ही है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

13 प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त आधारों में दिए गए तथ्यों पर विचार किया गया एवं सुनवाई के दौरान वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष 2009, वर्ष 2011 एवं पुनः पारित आदेश दिनांक 07.04.2014 के साथ देय कर के विवरणों के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि दिनांक 07.04.2014 के आदेश में वर्ष 2009 के कर निर्धारण में दर्शाए आउटपुट टैक्स के आधार पर ही 75 प्रतिशत से 25 प्रतिशत राशि विनिश्चित की गई है, जबकि सम्पूर्ण विवरणों को पुनः गणना कर तदनुसार आईटीसी की राशि कम करते हुए अवशेष मांग सृजित की जानी चाहिए थी। अपीलार्थी द्वारा चूंकि इस सम्बन्ध में केवल पुनः गणना कर उस अनुसार ब्याज आरोपण चाहा है, वह न्यायोचित होने से प्रकरण में इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटाते हुए अवशेष राशि को 25 प्रतिशत राशि को आस्थगित करने हेतु गणना करे। अतः केवल पुनः गणना करने हेतु एवं उस अनुसार ब्याज आरोपित करते हुए आदेश पारित करने के निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को दिए जाते हैं।

14. फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि कर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है एवं दिनांक 07.04.2014 के आदेश में गणना में त्रुटि के मामले में पुनः गणना के निर्देश दिए जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य

(के.एल.जैन)  
सदस्य